**भारत सरकार**
**वस्त्र मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**तारांकित प्रश्न संख्या *319**
**दिनांक 01.04.2022 को जवाब दिया**

## कुशल शिल्पकारों की कला को सम्मानित किया जाना

***319. श्री नीरज डांगीः**

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के अति कुशल शिल्पकारों की कला के सम्मान हेतु 'अखिल भारतीय शिल्प मेला' का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान देश के कुशल शिल्पकारों की कला के सम्मान हेतु अन्य क्या-क्या कदम उठाए हैं?

**उत्तर**
**वस्त्र मंत्री**
**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) से (ग):** एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**दिनांक 01.04.2022 को उत्तर दिये जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *319 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण**

**(क) और (ख) :** जी हां महोदय, कारीगरों को प्रत्यक्ष विपणन मंच प्रदान करने के लिए शिल्प मेला जैसे गांधी शिल्प बाज़ार (जीएसबी), शिल्प बाज़ार (सीबी) और प्रर्दशनियां आयोजित की गई हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित विपणन कार्यक्रमों का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

**(ग):** देश के कुशल कारीगरों की कला को सम्मान प्रदान करने हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए गए हैं:-

(i) उत्कृष्ट सिद्धहस्तशिल्पियों को हस्तशिल्प क्षेत्र की वृद्धि और विकास में उनके योगदान को पहचान देने के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है।

(ii) "दरिद्र परिस्थितियों में कारीगरों को सहायता योजना" के तहत हस्तशिल्प क्षेत्र में जिन पुरस्कार-प्राप्त कारीगरों की आयु 60 वर्ष से अधिक है और जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक न हो, को दरिद्र परिस्थितियों में प्रति माह 5,000/- रुपए राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) हस्तशिल्प कारीगरों को प्रत्यक्ष विपणन मंच प्रदान करने के लिए पूरे देश में घरेलू विपणन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस प्रकार के विपणन मंच कारीगरों को उनके उत्पाद क्रेताओं को बेचने तथा दीर्घावधि व्यापार के लिए बाज़ार लिंक स्थापित करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पुरस्कार प्राप्त कारीगरों को वरीयता दी जाती है। इसके अतिरिक्त पुरस्कार विजेता कारीगरों के लिए दिल्ली हाट और अन्य प्रमुख मेलों में विशेष विपणन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

(iv) अंतर्राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि इनमें पुरस्कृत हस्तशिल्प कारीगरों को एक अवसर प्रदान किया जा सके। कारीगरों और निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों व पैकेजिंग, नैतिक और पर्यावरणीय आश्वासनों आदि पर संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के माध्यम से सुग्राही बनाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं।

(v) हस्तशिल्प अपने सौंदर्य-शास्त्र, संबद्ध पारंपरिक मूल्यों, विशिष्टता, गुणवत्ता और शिल्पकारिता के लिए जाने जाते हैं। हस्तशिल्प पुरस्कार-प्राप्त कारीगर भावी पीढ़ी को पारंपरिक ज्ञान देने के लिए विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा संचालित तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य प्रशिक्षक के रूप मे संलग्न हैं।

(vi) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ने दक्ष कारीगरों को सरकारी ई-मार्केट प्लेस (GeM) पर ऑनबोर्ड करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की है ताकि वे अपने उत्पाद सीधे सरकारी मंत्रालयों/विभागों को बेचने में समर्थ हो सकें। अभी तक, 28,403 कारीगरों को जीईएम (GeM) पोर्टल पर ऑनबोर्ड लाया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत कारीगरों द्वारा कुल बिक्री का आंकड़ा 90.57 करोड़ रुपए है।

(अनुबंध-I)

**विपणन सहायता एवं सेवा योजना के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित घरेलू विपणन कार्यक्रम**

| क्र. सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 1 | 0 | 0 |
| 2. | आन्ध्र प्रदेश | 8 | 11 | 6 |
| 3. | असम | 11 | 3 | 15 |
| 4. | बिहार | 5 | 3 | 2 |
| 5. | चंडीगढ़ | 5 | 0 | 2 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 7 | 1 | 9 |
| 7. | दिल्ली | 8 | 0 | 4 |
| 8. | गोवा | 2 | 0 | 1 |
| 9. | गुजरात | 9 | 15 | 23 |
| 10. | हरियाणा | 7 | 8 | 15 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 4 | 5 | 13 |
| 12. | जम्मू एवं कश्मीर | 0 | 1 | 5 |
| 13. | झारखण्ड | 2 | 2 | 3 |
| 14. | कर्नाटक | 7 | 5 | 8 |
| 15. | केरल | 0 | 0 | 9 |
| 16. | लद्दाख | 0 | 1 | 5 |
| 17. | मध्य प्रदेश | 12 | 5 | 8 |
| 18. | महाराष्ट्र | 11 | 3 | 3 |
| 19. | मणिपुर | 0 | 2 | 8 |
| 20. | मेघालय | 3 | 0 | 1 |
| 21. | मिजोरम | 0 | 0 | 2 |
| 22. | नागालैंड | 1 | 0 | 5 |
| 23. | ओडिशा | 8 | 12 | 7 |
| 24. | पुदुचेरी | 1 | 3 | 3 |
| 25. | पंजाब | 6 | 6 | 9 |
| 26. | राजस्थान | 4 | 27 | 15 |
| 27. | सिक्किम | 3 | 0 | 1 |
| 28. | तमिलनाडु | 3 | 0 | 4 |
| 29. | तेलंगाना | 1 | 2 | 1 |
| 30. | त्रिपुरा | | 1 | 2 |
| 31. | उत्तर प्रदेश | 18 | 23 | 45 |
| 32. | उत्तराखंड | 5 | 4 | 11 |
| 33. | पश्चिम बंगाल | 7 | 2 | 7 |
| | **कुल** | **159** | **145** | **252** |

****